

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Education (Siksha Mantralaya)
Department of Higher Education (Uchchatar Siksha Vibhag)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi

Dated: 05th May, 2025

NOTIFICATION

No. 9-5/2021-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** an online application was uploaded on UGC's Portal for conferment of Institution Deemed to be University status under Distinct Category to Kendriya Hindi Sansthan (KHS), Agra, Uttar Pradesh under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. **And whereas,** UGC, vide its letter No. 43-1/2021 (CPP-I/DU) dated 15.11.2023, informed that the application was examined through its Expert Committee in accordance with UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations 2023. The Committee recommended issuing Letter of Intent (LoI) to KHS, Agra for fulfilment of certain conditions. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 574th meeting (Item No. 2.07) held on 03.11.2023.

4. **And whereas,** the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LOI) to KHS, Agra, Uttar Pradesh for fulfilment of the certain conditions within a period of three years before declaring it as an Institution deemed to be University.

5. **And further whereas,** Director, KHS, Agra, Uttar Pradesh vide his letter dated 10.12.2024, submitted compliance report of the conditions of the LoI which was then sent to UGC for verification and its advice. UGC placed the compliance report before the same Expert Committee which had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI). The Expert Committee accepted the compliance report of the Institution. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 589th meeting (Item No. 2.09) held on 03.04.2025.

6. **Now, therefore,** in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Kendriya Hindi Sansthan (KHS), Agra, Uttar Pradesh as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Central Government.



- ii. KHS, Agra shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- iii. The academic programmes to be offered at KHS, Agra shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- iv. KHS, Agra shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.
- v. KHS, Agra shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.
- vi. KHS, Agra shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by KHS, Agra.
- viii. KHS, Agra shall submit its revised Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC/ Ministry of Education as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 at the earliest. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- ix. KHS, Agra shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- x. KHS, Agra shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xi. KHS, Agra shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.


पुनर्वन्दु

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 23383432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
2. The Director, Kendriya Hindi Sansthan, Agra, Uttar Pradesh
3. The Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Uttar Pradesh.
4. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
5. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
6. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
7. Guard file / Notification file.


(Jyoti Ranjan)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 23381578

[भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 05 मई, 2025

अधिसूचना

सं. 9-5/2021-यू.3(ए): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केन्द्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस), आगरा, उत्तर प्रदेश को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 15.11.2023 के अपने पत्र संख्या 43-1/2021 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम 2023 के अनुसार अपनी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। समिति ने कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए केएचएस, आगरा को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 03.11.2023 को हुई अपनी 574वीं बैठक (मद संख्या 2.07) में विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया।

4. और जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर केएचएस, आगरा, उत्तर प्रदेश को एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने से पहले तीन वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था।

5. और आगे, जबकि निदेशक, केएचएस, आगरा, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 10.12.2024 के अपने पत्र के माध्यम से, आशय पत्र की शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया। यूजीसी ने अनुपालन रिपोर्ट उसी विशेषज्ञ समिति

पुष्प

के समक्ष रखी जिसने आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। विशेषज्ञ समिति ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग ने दिनांक 03.04.2025 को हुई अपनी 589वीं बैठक (मद संख्या 2.09) में विचार किया और उसे अनुमोदित किया ।

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस), आगरा, उत्तर प्रदेश को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन है:

- i. यूजीसी और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- ii. केएचएस, आगरा किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- iii. केएचएस, आगरा में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- iv. केएचएस, आगरा समय-समय पर यूजीसी द्वारा उक्त विषय पर जारी मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ-कैंपस, ऑफ-शोर कैंपस शुरू करेगा।
- v. केएचएस, आगरा शोध कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरेट और नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उचित कदम उठाएगा। संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजीसी विनियमों/दिशा-निर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।
- vi. केएचएस, आगरा सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

पुक्ति

- vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित वैधानिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और केएचएस, आगरा द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- viii. केएचएस, आगरा यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय को अपना संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए)/नियमवाली प्रस्तुत करेगा। जब भी आवश्यक हो, संस्थान मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित या परिवर्तित करेगा।
- ix. केएचएस, आगरा यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- x. केएचएस, आगरा इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xi. केएचएस, आगरा अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) तैयार करेगा, अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दे और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाए।

प्रतिक्रिया

(पूर्णदु किशोर बनर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टेली: +91 11 23383432

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002.

प्रतिलिपि अग्रेषितः:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
2. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश

3. प्रमुख सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
4. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001।
5. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली - 110002।
6. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस इकाई को आवश्यक निर्देश जारी करें।
7. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।



(ज्योति रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: +91 11 23381578